

Handwritten signature



उत्तर प्रदेश **UTTAR PRADESH**

(प्रारूप-अ)

GP 837232

सत्र 2023-24 में न्यायपट्ट की जाने वाली जिल्ला इन कार्पेरी संस्थानों की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले लेटरी सत्य-पत्र का प्रारूप

एक राम शर्मा (नाम अध्यक्ष) एवं जगत प्रताप सिंह (नाम सचिव) बनारा अध्यक्ष एवं सचिव बन्नु कुलदास सिंह सेवा संस्थान, (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता) नई बजार, खाना, कोल्लपुर (सत्र) जयपुरीक जिल्लाक स्थान कयो है-



यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा जगत प्रताप सिंह कार्पेरी बालेज (संस्थान का नाम एवं पता) जयपुरीक जिल्ला, कोल्लपुर (सत्र) नामक डिस्ट्रिक्ट इन कार्पेरी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 में किया गया प्रस्तावित है।

2 यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम राम-नीर, लक्ष्मी गिरावू व जयपुरी-कोल्लपुरी (पता जहाँ पर भूमि स्थित है) में ग्राटा संख्या 724 एवं 725 सन्का बनारा 0.1060 हेक्टेयर एवं 0.2070 हेक्टेयर (कुल सन्का 0.3120 हेक्टेयर) भूमि है।


3 यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी ऋण किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4 यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम जयपुरीक भूमि के ग्राटा संख्या 724 एवं 725 सन्का बनारा 0.1060 हेक्टेयर एवं 0.2070 हेक्टेयर (कुल सन्का 0.3120 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की जिल्ला इन कार्पेरी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 08.10.2018 द्वारा पारित किया गया है।

Handwritten signature

Handwritten signature

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त प्ले पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्रमांक के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रविष्टान प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० सरकार से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक कक्षाएं, रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यालयों आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक वित्तीय एवं अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सब जल्द के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि सासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का कड़ीगति पालन करेगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थानीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं चुनने मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अतिरिक्त/दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होंगा।



80 अग्रज
 [Signature]

[Signature]

80 साधिव
 [Signature]

असहायक अध्यक्ष अक्षय प्रताप सिंह

[Signature]
 NOTARY
 02-9-2023